0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd,Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner – 334001
Email:ro-bikaner@gmail.com
www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-713/ 1426 | Date : 09/11/2023

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub: - **Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of Mining Project of M/s Shri Rajesh Mohan Bhai Patel, (Reference No 2018100001578, Area 4.00 Ha. & Production Capacity 4,00,130 TPA (ROM) {Ball Clay, Silica Sand, Gravel & Murram} (Cluster Area: - 13.7911 Hac.) at near Khasra No 7, Near Village- Sharah Bhaleri, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.**

Ref.: - Public Hearing conducted on dated 03.10.2023.

Sir,

Apropos above, it is informed that the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of **M/s Shri Rajesh Mohan Bhai Patel, (Reference No 2018100001578, Area 4.00 Ha. & Production Capacity 4,00,130 TPA (ROM) {Ball Clay, Silica Sand, Gravel & Murram} (Cluster Area: - 13.7911 Hac.) at near Khasra No 7, Near Village- Sharah Bhaleri, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner** was conducted on 03.10.2023 at Gram Panchayat Bhawan Gangapura, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

The minutes of the public hearing along with CD of videography of Proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006. Besides above 4 presentations/objections were received in this office after public hearing (Copy Enclosed as Annexure 'स').

Enclosed: -

(i) One set of minutes of the Public Hearing
(ii) One set of Attendance Sheet
(iii) Copy of Objection letter
(iv) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
(v) One set of Photographs

Yours Sincerely

-sd-

(Pradeep Kumar Asnani)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action: -

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), RSPCB, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (Adm.), Bikaner
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. Shri Rajesh Mohan Bhai Patel, 33, Sohan Bunglow, Himmat Nagar, District-Sabarkotha, (Gujrat).

Regional Officer

जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत **मैसर्स श्री राजेश मोहन भाई पटेल (खसरा नम्बर 7), रेफरेन्स नम्बर 2018100001578, क्षेत्रफल 4.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 400130 टी.पी.ए (रोम) (बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल एवं मुर्रम), निकट ग्राम–शरह भलेरी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** जो की **क्लस्टर परियोजना {मैसर्स श्री राजेश मोहन भाई पटेल (खसरा नम्बर 7), रेफरेन्स नम्बर 2018100001578, क्षेत्रफल 4.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 400130 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री रोहित डागा, एम एल नम्बर 08/2011, क्षेत्रफल 4.8819 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100000 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री धारा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम एल नम्बर 07/2011, क्षेत्रफल 4.9092 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100000 टी.पी.ए. (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 13.7911 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–600130 टी.पी.ए.(रोम),** में स्थित है, उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 03.10.2023 को **ग्राम पंचायत भवन–गंगापुरा, तहसील–कोलायत जिला–बीकानेर (राजस्थान)** में दोपहर 3.00 बजे से जिला कलेक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ठ "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 02.09.2023 को समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक युगपक्ष में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ठ "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री यश अग्रवाल पुत्र श्री अनुज अग्रवाल**, माइन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड"** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि इस खनन ईकाई का का **रेफरेन्स नम्बर 2018100001578**, कुल खनन क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर, खनिज– **बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल एवं मुर्रम** एवं उत्पादन क्षमता 400130 टी.पी.ए. (रोम) है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री रेवन्तराम, उपप्रधान, ग्राम गंगापुरा द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि से गॉव में शिक्षा को बढावा देने के उद्देश्य से गॉव के विद्यालयों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया किया। श्री रेवन्तराम द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि से गॉव के विकास में सहयोग करने, पंचायत भवन में वातानुकुलन की व्यवस्था करने, पौधारोपण एवं पानी का नियमित छिड़काव करने, गॉव के विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह में सहयोग करने तथा खनन कार्यो में गॉव के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने हेतु भी निवेदन किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

खनन ईकाई के प्रतिनिधि श्री राजेश भाई मोहन भाई पटेल द्वारा गॉव में शिक्षा को बढावा देने हेतु विद्यालयों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई। साथ ही खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा गॉव के विकास में सहयोग करने, पौधारोपण व पानी का निरन्तर छिड़काव करने, रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने एवं पंचायत भवन में वातानुकुलन की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया।

उपप्रधान श्री रेवन्तराम जी द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि से ग्राम पंचायत के विकास हेतु सी.एस.आर. फण्ड के तहत सहयोग राशि उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया जिसके प्रत्युत्तर में खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा सी.एस.आर. फण्ड से सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदया द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि को पंचायत भवन में सौन्दर्यकरण हेतु पेड़ पौधे एवं घास लगाने तथा अन्य उचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा उक्त कार्य को अतिशीघ्र करने का आश्वासन प्रदान किया गया।

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय को जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(प्रतिभा देवठिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
कार्यालय, जिला कलक्टर, बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स मैसर्स श्री राजेश मोहन भाई पटेल (खसरा नम्बर 7), रेफरेन्स नम्बर 2018100001578, क्षेत्रफल 4.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 400130 टी.पी.ए (रोम) निकट ग्राम–शरह भलेरी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल एवं मुररम माईन्स) में प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.10.2023 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन, गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–03.10.2023 समय दोपहर 3.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	श्री प्रतिभा देवठिया	ADM (Admin) Bikaner	[signature]
2.	श्री प्रदीप आसवानी	RO, RSPCB, Bikaner	[signature]
3.	गिरीश व्यास	A.EN, RO, RSPCB	[signature]
4.	रेवन्त राम उपप्रधान		[signature]
5.	हिमांशु शर्मा	बीकानेर	[signature]
6.	Arvind Vaishnav	mantras green Jaipur	[signature]
7.	Vivek Tyagi	Mantras Green Jaipur	[signature]
8.	राजेश मोहन भाई पटेल		[signature]
9.	Patel Rewabhai Mohanbhai		[signature]
10.	Deepak Sethia	Kolai charan	[signature]
11.	Shivraj	Motawata	[signature]
12.	Ganesh singh	Motavata	Ganesh
13.	Lokendrasingh	Motawata	[signature]
14.	Kishanaram	मोटावता	[signature]
15.	जय प्रकाश	मोटावता	जयप्रकाश
16.	लीलाधर	खारी चारनान	लीलाधर

17.	मुलाराम	खारी चारनान	मुलाराम
18.	रमेश	खारी चारनान	रमेश
19.	फुरसाराम	मोटा गट	फुरसाराम
20.	रोहित	गुड़ा	रोहित
21.	Ashok Sharma	Cheela	[signature]
22.	मोडूलाल डबी	बी कालो	मोडूलाल डबी
23.	मुनाराम	भैरलाग	मुनाराम
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	जगदीश	खारी चारनान	जगदीश
26.	राजूराम	खारी चारनान	राजूराम
27.	भंवरराम	खारी चारनान	भंवरराम
28.	बलु सिंह	खारी चारनान	बलु सिंह
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			

Receipt No 616
Date 03/10/2023
RAJASTHAN POLLUTION CONTROL BOARD * BIKANER *

सेवा मे,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
बीकानेर

महोदय जी,

विषय :— खनन पट्टे की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में ग्रामीणो की ओर से आपति दर्ज करने बाबत् ।

महोदय जी,

रेफरेन्स 2018 578

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम रोही शरह भलेरी के खसरा नं 07, एम एल नं की राजेश मोहन भाई पटेल एवं मिनरल्स द्वारा खनन लीज विभाग द्वारा जारी करवाई गई है जिसकी पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रम पंचायत गंगापूरा में जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 03.10.2023 को होने जा रहा है।

पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रामीणो की ओर से आपतियां निम्न प्रकार से है ।

1. खनन पट्टा धारक द्वारा लीज क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट सहित आस पास के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार से वृक्षारोपण नही किया जाता है जिसके कारण क्षेत्र मे पर्यावरण प्रदुषण मे लगातार बढोतरी हो रही है ।
2. पट्टाधारक द्वारा खनन करते समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम सहित अन्य अधिनियमो के तहत खनन कार्य नही किया जा रहा है
3. पट्टाधारक द्वारा खनन के दौरान माल को परिवहन करने वाले वाहनो को बिना तिरपाल से माल का परिवहन करते है जिसके कारण परिवहन के समय वाहनो से मिट्टी व धुल के कण हवा मे उडते है जिसके कारण आबादी क्षेत्र से निकलने वाले वाहनो से ग्रामीणो को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
4. खनन लीज क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिको को किसी भी प्रकार से सुरक्षा उपकरण मास्क , सेफटी सुज, हेलमेट आदी सामग्री उपलब्ध नही करवाई जाति है जिसके कारण लगातार श्रमिको के साथ लगातार हादसे होते रहते है ।
5. खनन प्रकिया के दौरान वायु को नियत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपायो की पालना नही करतें है
   - **A.** सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नही करते है
   - **B.** धुल उत्सर्जन क्षेत्र मे कार्यरत मजदूरो को डस्ट मास्क उपलब्ध नही करवाये जाते है ।
   - **C.** धूल प्रदुषण को नियत्रित करने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका / वृक्षारोपण विकसित नही किये जाते है ।
   - **D.** वायु की नियमित जांच नही करवाते है ।
   - **E.** ट्रको में ओवरलोडिंग से माल परिवहन करवाते है ।

6- ध्वनि प्रबंधन के नियमो का उल्लघंन

(अ). खनन क्षेत्र मे कार्य के उपयोग मे ली जाने वाली मशीनो का सही तरिके से रख रखाव नही किया जाता है जिसके कारण कार्य के समय शोर बहुत ज्यादा होने के कारण आस पास के आमजन को बडी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है

(ब). मशीनरी का उचित रख रखाव और टयुनिंग सुनिश्चित नही की जा रही है

(स). मजदूरो को अत्यधिक शोर के प्रभाव से बचाने के लिए इयर प्लग एवं मफ्र्स का उपयोग नही करवाया जाता है ।

(द). ध्वनि प्रसारण को रोकने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका वृक्षारोपण विकसित नही किया जाता है ।

(स). ध्वनि गुणवता का आवधिक निरिक्षण नही करवाया जाता है व भविष्य में किसी भी प्रकार से उचित प्रयास नही करते है ।

7- परियोजना लाभ

A- पट्टेदार स्थानीय पंचायत का समर्थन नही करता है क्षेत्र मे सार्वजनिक सुविधाओ के विकास के लिए सहायता प्रदान नही करता है पट्टेदारी कुशल एवं अकुशल कामगार स्थानीय एवं योग्यताओ के अनुसार कार्य नही देकर के बाहर के लोगो को कार्य देते है

B- बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधा सुधार एवं आवास , परिवहन , चिकित्सा , शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओ से वचिंत किया जाता है

8- जल प्रबंधन

A- वर्षा के समय बहने वाला पानी बाल क्ले मे घुलकर आस पास के किसानो के खेतो मे जाने के कारण उनके खेतो की फसल उपजाउ दिनो दिन कम होने के कारण स्थानिय किसानो को बड़ा संकट का सामना करना पड रहा है

B- कुछ वर्षा का जल खनन पिट के अन्दर चला जाता है वर्षा जल को रोकने के लिए पिट के चारो और गारलैंड ड्रेंन नही बनाये जाते है

9- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

A- खनिज उत्खनन से अनेको बार विषैला पदार्थ निकलता है जिसके कारण आस पास के किसानो की खेत की मिट्टी प्रदुषित होती है ।

B- अपशिष्ट और सिल्ट को रोकने के लिए डम्प के चारो और रिटेनिंग वॉल नही बनाई जाति है ।

C- खनन क्षेत्र से निकलने वाले ओवर बर्डन को रिफलिंग न करके आस पास लीज क्षेत्र से बाहर डाल दिया जाता है ।

D- अपशिष्ट डम्पो को स्थिर करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय नही किये जाते है आवश्यकता होने पर डपिंग के सिरे पर रिटेनिंगवॉल नही बनाई जाती है परिपक्य डम्प पर वर्क्षारोपण नही करते है ।
स्त्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए किसी भी प्रकार से देखभाल नही की जाती है ।

10- हरित पट्टिका विकास एवं वृक्षारोपण कार्यकम पर ध्यान नही देना

CPCB दिशा निर्देशो के अनुसार पौधो की प्रजातियो को नही लगाया जाता है व वनीकरण योजना के तहत बैकफिल्ड क्षेत्रो और आबादी कनेक्टिंग सड़को मे वृक्षा रोपण नही करते है बैरियर जोन और सडको में वृक्षा रोपण आवश्यक होने के बावजूद न करते जिसके कारण क्षेत्रो मे खनन कार्य एवं वाहन आंदोलन के परिणाम स्वरूप सुक्ष्म कण धुल के उडने के कारण स्थानियो को परेशानी होती है

11. खनिज क्षेत्र के 10 किमी त्रिज्या क्षेत्र मे वन विभाग , ओरण , गोचर होने के कारण जिव जन्तूओ का आवागमन हमेशा होता रहता है और इससे जिव जन्तुओ को खनन कार्य के दौरान परेशानियो के कारण क्षेत्र से लुप्ट होने जा रहे है

12. खनन क्षेत्र के पास मे नदी नाला , वाटर चेनल्स व जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड मे 90 sq में गंगा सरोवर बांध का पायतन है खनन से कही न कही बहाव क्षेत्र प्रभावित होगा

13. पास में ही जोगिरा तालाब , भलूरी तलाई , सुरजमल तलाई , मोटावता तलाई , खारी तलाई सहित कई तलाईया है जो कि वो भी खनन के दौरान प्रभावित होने की पुरी संभावना है

14. खनन कार्य के दौरान वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा पर भी कही न कही बुरा प्रभाव पड़ेगा एवं इनकी गुणवता व जांच पर पट्टाधारक ध्यान नही देते है ।

15. खनन क्षेत्र के चारो और किसी भी प्रकार से फेनसिंग और तारबंदी नही लगाई जाती है जिसके कारण पशु गिरने से आये दिन हादसे होते रहते है

16. जीव जन्तु

A- खनन पट्टा क्षेत्र के आस पास की भुमी वन , गोचर ओरण होने के कारण यहां जीवों की उपस्थिति बहुत ज्यादा है कुछ ऐसी भी प्रजातियां है जो लुप्तप्राय है इस प्रकार क्षेत्र मे पाये जाने वाले जीवो पर खनन गतिविधी का बहुत बड़ा प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा

निष्कर्ष

उपरोक्त बिंदुओ तथ्यो और आकड़ो को गहराई से देखने से पता चलता है कि पानी की गुणवता , जल विज्ञान , मिट्टी भुविज्ञान , जैव विविधता , वायु गुणवता , पर्यावरण, जोखिम के खतरे , सामाजिक आर्थिक स्थिती , शोर और कपन्न और ठोस अपशिष्ट उतपादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

पानी के छिडकाव नही करने से स्त्रोत पर धुल को कम नही किया जा सकेगा

शोर वाले स्थान पर श्रमिको को फेस मास्क , जूते और ईयर प्लग उपलब्ध नही करवाये जाते है । खनिज का परिवहन ढके हुए तिरपाल से न करके आबादी भूमी से ओवरलोड वाहनो का उपयोग किया जाएगा , खनन पट्टा क्षेत्र मे पियूसी बिना प्रमाणित वाहनो का उपयोग किया जायेगा , व क्षेत्र के लिए वायु गुणवता मॉडलिंग पर ध्यान नही देते है एवं खनन कार्य दिन रात किया जाता है लीज क्षेत्र सहित आस पास वृक्षारोपण पर ध्यान नही दिया जाता है जिसके कारण स्थानिय ग्रामीणो को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

दिनांक 3/10/2023

प्रार्थीगण
समस्त ग्रामवासी ग्राम पचायत —

Daleep Singh
Advocate
Raj High Court
Sri Kolayat (Bikaner)

प्रतिलिपि

1 मुख्य शासन सचिव शासन सचिवालय, जयपुर

2. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर

3. प्रमुख शासन सचिव खनन विभाग शासन सचिवालय जयपुर

4. प्रमुख शासन सचिव प्रदूषण विभाग शासन सचिवालय जयपुर

5. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर

6. संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर

7. प्रमुख शासन सचिव वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग जयपुर

8. अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर

9. शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं आयुक्त श्रम विभाग जयपुर

10. महाप्रबंन्धक जिला उधोग केन्द्र, चोपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर।

11. सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डेंगरी जयपुर

12. एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ए 209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड़, झालाना संस्थानिक क्षेत्र , जयपुर ।

13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कार्यालय , एन एच 11. सिविल लाईन्स, बीकानेर ।

14. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर।

Gmail

Regional Office, RSPCB, Bikaner <ro.bikaner@gmail.com>

शरह भालेरी में खनन लीज की पर्यावरण स्वीकृति को लेकर गंगापुरा की जन सुनवाई में ग्रामीणों की ओर से आप्ति निम्न प्रकार से है

1 message

DALEEP SINGH <daleepsingh0202@gmail.com> Tue, Oct 3, 2023 at 9:57 PM
To: "ro.bikaner@gmail.com" <ro.bikaner@gmail.com>

रमेश मोहन भाई द्वारा पहले भी इस क्षेत्र में श्री धारा नाम से माइंस चला रहे हैं जिसको लेकर वो नियमो का पालन नहीं कर रहे हैं वो पेड़ पौधे नही लगा रहे हैं इसलिए ग्रामीण यही चाहते की इनको नई किसी भी प्रकार से पर्यावरण स्वीकृति प्रदान पार रोक लगाई जावे
जिससे गांव वालो को बड़ी समस्याओं का सामना नही करना पड़े

Gmail

Regional Office, RSPCB, Bikaner <ro.bikaner@gmail.com>

(no subject)

1 message

DALEEP SINGH <daleepsingh0202@gmail.com>
To: "ro.bikaner@gmail.com" <ro.bikaner@gmail.com>

Tue, Oct 3, 2023 at 10:35 PM

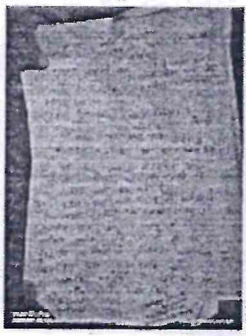

IMG_20231003_223206.jpg
4106K

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बीकानेर

विषय – उमा रोही शरह भलेरी में खसरा नं. 07 [illegible] राजेश मोहन भाई पटेल
रेकोर्ड 2018 [illegible] 578 राजेश मोहन [illegible] निम्न प्रकार
सूचना के सम्बन्ध में आपत्ति [illegible]

महोदया जी
उपरोक्त आपत्ति निम्न है

(1) राजेश मोहन भाई पटेल द्वारा पहले से पट्टा क्रमांक 7/2018 पट्टा [illegible] 86774 [illegible] की माईन्स चला रहे हैं जो शरह भलेरी में है

(2) जो इस माईन्स में किसी प्रकार के नियमों को, वृक्षारोपण आदि की पालना नहीं कर रहे हैं

(4) अगर इस पट्टा धारक को उमा रोही शरह भलेरी के खसरा नम्बर 7 [illegible] रकबा 2018 [illegible] 578 में भी पर्यावरण स्वीकृति दी जाएगी तो बड़ा [illegible] ग्रामीणों को नुकसान होगा [illegible]
इसलिए इस पट्टा धारक की पर्यावरण स्वीकृति पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जावे।

[illegible]
~~3/10/2023~~
3/10/2023

Daleep Singh
Advocate
Raj High Court
Sri Kolayat (Bikaner)

vivo S1 Pro
48MP AI Quad Camera
2023.10.03 22:32

Gmail

Regional Office, RSPCB, Bikaner <ro.bikaner@gmail.com>

RTI भलेरी श्री धारा माइनेस12334546.pdf

1 message

DALEEP SINGH <daleepsingh0202@gmail.com> Tue, Oct 3, 2023 at 10:35 PM
To: "ro.bikaner@gmail.com" <ro.bikaner@gmail.com>

इसको आप्ति में शामिल करो

RTI भलेरी श्री धारा माइनेस12334546.pdf
466K

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता
(प्रशासन) मण्डल, झलाना डूंगरी
जयपुर।

विषय:- बीकानेर जिले के कोलायत तहसील के ग्राम शरह भलेरी मे पट्टा नंबर me 7/2011 पट्टा आईडी 86774 हो रहे खनन मे वैध पट्टा धारक श्री धारा माइन्स द्वारा बालकले की लीज से बजरी खनन कर रहा है एवं पर्यावरण एवं खनन सहित विभिन्न कानूनों मे पर्याप्त मोजूदा प्रावधानो के अनुसार खनन नही कर रहे है पट्टाधारक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुवे स्थायी रूप से खनन कार्य बंद करवाने हेतु।

महोदय जी,

प्रस्ताव

पर्यावरण के अनुकूल खनन क्षेत्रों में पर्यावरण के क्षरण ने सार्वजनिक जीवन को वायु प्रदूषण, भूमि क्षरण, वन क्षरण और पीछे हटने की जल तालिका आदि से प्रभावित किया है। सरकार ने इन पर ध्यान दिया है और सख्त स्थिति को लागू करने के लिए पर्यावरण के क्षरण के विभिन्न पहलुओं में सुधार के उपाय किए हैं। हर पट्टा धारक के लिए। खनन इंजीनियरों और LASSIES नियमों का पालन करने और राज्य में इको- फ्रेंडली खनन का पालन जरूरी है लेकिन आज दिनाक तक एक भी नियम का पालन नही किया जा रहा हैं।

खनन क्षेत्रों में पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों की देखभाल के लिए विभिन्न कानूनों में पर्याप्त मौजूदा प्रावधान हैं एक भी प्रावधान का पालन नही किया जा रहा है कुछ प्रावधानों को निम्नानुसार रेखांकित किया जा रहा है: -

राज लघु खनिज रियायत नियम, 2017: -रुल 29 और 340

एमसीडीआर, 2017: नियम 31,32,33 और नियम 34।